[21/3/2023]

परिशिष्ट "अ"

315

प्रश्न सं. [क्र. 2429]

श्री राकेश मेहरा, प्रबंधक (पोषण आहार) के निलम्बन के कारण

1. श्री राकेश मेहरा, प्रबंधक दिनांक 09/02/2021 से दिनांक 20/10/2022 तक पोषण आहार कक्ष के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे । पोषण आहार कक्ष में पदस्थापना के दौरान किये गये कार्यो एवं गतिविधियों से शासन एवं निगम के हितों को अनदेखा करते हुये गंभीर वित्तीय अनियमित्ताऐं एवं म.प्र. शासन के भंडार क्रय नियम 2015 का उल्लंघन करते हुए मार्च 2020 में तैयार रजिस्ट्रेशन कम बिड डाक्यूमेंट में उल्लेख किया गया कि यह दस्तावेज सी.वी.सी. की गाईडलाईन एवं मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों को ध्यान में रखते हुये तैयार किये गये हैं। दस्तावेज के परीक्षण से पाया गया कि मध्यप्रदेश में स्थित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाईयों संबंधी दिशा–निर्देशों एवं प्रथम न्यूनतम (एल–1)+15 प्रतिशत दरों के प्रति प्रस्ताव ऑफरकर्ताओं से लेने के नियम का उल्लंघन किया गया है। विटामिन एवं मिनरल की खरीदी के दौरान भी इन नियमों की अवेहलना की गई है एवं अन्य सामग्रियों का क्रय भी भंडार क्रय नियमों के अनुसार नहीं किया जाना पाया गया ।

2. श्री मेहरा द्वारा दिनांक 01/09/2021 को मेसर्स कुन्थुनाथ मर्चेन्ट प्रा.लि., मेसर्स अजीतनाथ मर्चेन्ट एवं मेसर्स देवी ट्रेडर्स को लंबित देयकों के भुगतान के संबंध में जारी पत्र में लेख किया कि भुगतान में बिलम्ब होने पर प्रदायकों द्वारा प्रस्तुत दरों में बिलम्ब राशि के रूप में 5 से 6 माह का ब्याज भी जोडा जा रहा है, जिसे निगम द्वारा भी मान्य किया जा रहा है एवं बिलम्ब को दृष्टिगत रखते हुये प्रदायक निविदाओं में भाग ले एवं दरें प्रस्तुत करें, जबकि वास्तव में प्रबंध संचांलक से अनुमोदन केवल इस तथ्य के लिए लिया गया था कि महिला एवं बाल विकास विभाग के भुगतान प्राप्त होने के पश्चात ही संबंधित विभाग को भुगतान किया जायेगा।

श्री मेहरा द्वारा लिखा गया पत्र प्रथम दृष्टया प्रदायकों से अधिक दरें आमंत्रित करने की नियति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिखा गया प्रतीत होता है एवं रजिस्ट्रेशनकम बिड दस्तावेज में ब्याज की राशि प्रदायकों को देने का कोई उल्लेख न होते हुए भी उनके द्वारा निगम को 5 से 6 माह का ब्याज बढी हुई दरों के रूप में मान्य किये जाने का उल्लेख किया गया है।

3. श्री राकेश मेहरा, प्रबंधक (पोषण आहार) द्वारा दिनांक 13/12/2021 को मेसर्स देवी ट्रेडर्स को मूंगदाल प्रदायगी राशि रू 7483/– प्रति क्विंटल के मान से आदेश दिया गया, जबकि निगम द्वारा विक्रेता (ऑफरकर्ता) को प्रतिप्रस्ताव राशि रू. 7276/– प्रति क्विंटल दिया गया था। ऑफरकर्ता द्वारा राशि रू. 7276/– का प्रतिप्रस्ताव मान्य नहीं करते हुये अपनी ओर से राशि रू. 7376/– प्रति क्विंटल की दर से प्रदायगी हेतु सहमति प्रदान की, किन्तु श्री मेहरा ने आफरकर्ता द्वारा दी गई दर राशि रू. 7376/– से सक्षम समिति को अवगत नही कराया गया बल्कि अधिक दर राशि रू. 7483/– प्रति क्विंटल की दर पर प्रदायगी आदेश जारी किये गये, जिससे निगम को अंतर की राशि रू. 1,56,699/– की वित्तीय हानि हुई।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

28/2/23
मनोज जैन
प्रबंधक (HRD)